


15.07.19

वकील कपीलाण्ट 3901 बहस वकील कपीलाणी
सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न
नाथव तहसीलदार तलवडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
कपीलाणी ने ख.नं. 122 रकबा 0.01 हे० विस्तृत शंभुवास्ता
वोके आम बन्दपुरा से कारिक्कण हटा लिया गया
है एवं वर्तमान में रास्ता चालू है। अतः कपीलाणी
की कपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए
कपील स्वीकार की जाकर न्यायालय नाथव
तहसीलदार तलवडा द्वारा पारित आदेश को सजा
की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष निधि
यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसलासुमार होकर नंबर
से कम हो एवं बाढ़ तकमील जमा जितना
आनि लेमागार हो। कपीलस्थ न्यायालय की मूल
पत्रावली एवं आदेश की उमाणित प्रति पालनार्थ
भिजवाई जावे।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सोच रहे में परिवर्तन से सम्बन्ध

कमिया दिनांक

19/07/19

मंगलपी ला

जा नहीं।